संख्या-915/2023/4327/41-2023-CN-1393906-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

विषयः- जनपद मीरजापुर में विन्म कॉरिडोर के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे विन्ध्यवासिनी मन्दिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेन्ट के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशाल के पत्र सं0-920/6-1-1(1272)/2021-22, दिनांक 22.05.2023 तथा सं0-2532/वि०धा०ती०वि०प० (विविध)/2023, दिनांक 24.07.2023 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद मीरजापुर में विन्य्य कॉरिडोर के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे विन्ध्यवासिनी मन्दिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेन्ट के निर्माण कार्य में मदों में परिवर्तन के कारण संशोधित विस्तृत आगणन धनराशि रू0 4450.07 लाख का प्रस्ताव प्रेषित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मन्दिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेन्ट के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	642/2021/आई/116239/41-1002(002)/8/2021 दिनांक 24.11.2021	4165.42 लाख (जी0एस0टी0 सहित)	500.00
2	179/2023/1304/001-41-2023-109-Budget 2021,दिनांक 14.03.2023		300.00
3	376/2023/2108/001-41-2023-109-Budget-2021 दिनांक 28.04.202		800.00
4	557/2023/3593/001-41-2023-109 Budget 2021,दिनांक 28.04.2021		137.57
5	619/2023/4238/001-41-2023-109-Budget-021 दिनाक 15.09.2023		1500.00
कुल अवमुक्त धनराशि			**3237.57**

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मीरजापुर में विन्ध्य कॉरिडोर अतर्गत सम्यादित कराये आ रहे विनयवासिनी मन्दिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेन्ट के निर्माण A कोर्थ हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त मूल्यांकित की गयी धनराशि रू0 4330.76 लाख प्रतिशत जीएसटी सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शाएँ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231/2023 दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथ्थ स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कराया जाय तथा पर्यटन निदेशालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/पर्यटन निदेशालय की होगी।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/पर्यटन निदेशालय को होगा।

(5) प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पर्यटन निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2- 60/दस-2023-17(4)/75. दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2- 66/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) प्रश्नगत परियोजना के मूल शासनादेश सं0-642/2021/आई/116239/41- 1002(0021/8/2021, दिनांक 24.11.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश के शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें तथा उसका अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-233-X-2023-24, दिनांक 16 अक्टूबर 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्मंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथमद्वितीय, उ००, प्रयागराज।
2. महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उ०प्र०, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. उप निदेशक (प्रशासन), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।
8. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, विन्ध्याचल इकाई, मीरजापुर।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, विन्ध्याचल मण्डला
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।